Form No. III
फर्द–अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

हजारी सुथार बनाम **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राशमी जिला चित्तौड़गढ़**

कार्यवाही अन्तर्गत :– धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

किस्म मुकदमा	अपील (सूचना का अधिकार)	नं0	**082**	सन्	**2023**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.11.2023	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्राप्त हुई जो पेश हुई। अपीलार्थी हजारी लाल पिता रूपाजी जाति सुथार निवासी मैदाखेडी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) मोबाईल (8875232638) ने सूचना प्राप्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में अवगत कराया गया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राशमी जिला चित्तौड़गढ़** को आवेदन पत्र दिनांक 10.10.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी विहित समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरांत उक्त आवेदन के संबंध में अपीलार्थी को संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत हस्तगत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राशमी जिला चित्तौड़गढ़** द्वारा अपीलार्थी द्वारा अधिनियम 2005 की धारा 6(1) प्रस्तुत आवेदन का निर्धारित समयावधि में निस्तारण नहीं किये जाने की स्थिति प्रथम अपील की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के दो प्रतियों में मय आवेदन शुल्क भारतीय डाक आदेश संख्या **60 F 489278** एवं पोस्टल रसीद की छाया प्रति के प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है, किन्तु अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राशमी को अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 10.10.2023 की छाया प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है जो कि प्रथम अपील ग्रहण किये जाने हेतु आवश्यक दस्तावेजात है, इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पोस्टल रसीद सुपाठ्य नहीं होकर अस्पष्ट प्रतीत होती है, ऐसी स्थिति अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील आवेदन ग्रहण किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है। इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील हेतु आवेदन शुल्क के रूप में भारतीय डाक आदेश संख्या **60 F 489277** तादादी रूपये 10/- अक्षरे दस रूपये का प्रस्तुत किया गया है। अधिनियम 2005 के प्रावधानों की धारा 19 (1) के तहत प्रस्तुत किये जाने आवेदन शुल्क से मुक्त है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलीय शुल्क भारतीय डाक आदेश संख्या **60 F 489277** तादादी रूपये 10/- अक्षरे दस रूपये अपीलार्थी को लौटाया जाना उचित प्रतीत होता है, एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील इन निर्देशों के साथ निस्तारित किया जाता है कि अपीलार्थी अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राशमी को अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 10.10.2023 की छाया प्रति के साथ सुपाठ्य एवं स्पष्ट पोस्टल रसीद की प्रति के साथ नवीन प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत करावें। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा हस्तगत प्रथम अपील आवेदन ग्राह्यता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से निस्तारित किया जाता है। एवं अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील आवेदन शुल्क के रूप में प्रस्तुत भारतीय डाक आदेश संख्या **60 F 489277** तादादी रूपये 10/- अक्षरे दस रूपये अपीलार्थी को लौटाये जाने का आदेश दिया जाता है। अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर अभिलेख में उक्तानुसार अंकन किया जावें। अहकाम की प्रतिलिपि मय भारतीय डाक आदेश संख्या **60 F 489277** तादादी रूपये 10/- अक्षरे दस रूपये के अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक के निःशुल्क प्रेषित की जावें। भारतीय डाक आदेश की छाया प्रति रिकार्ड पर रखी जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। -S/D- (गौरव अग्रवाल) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 22.11.2023	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official